International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 05-07-2021, Accepted: 20-07-2021, Published: 03-08-2021
Volume 7, Issue 4, 2021, Page No. 72-75

भारत में पर्यावरण समस्या एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका

पवन कुमार
पी. एच. डी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
भारत में पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर कई कानून एवं नीतियों का निर्माण किया गया परन्तु किसी विशेष अधिकरण की अनुपस्थिति में ये अधिनियम एवं नीतियां आधे–अधूरे रूप में ही कियांवित किए गए है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में एक विशेष अधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही यह भी माना कि इस तरह का अधिकरण भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर मुकद्दमों के बढ़ते बोझ को भी कम कर सकेगा। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। प्रस्तुत लेख राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन करता है कि यह पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में कहां तक कारगार साबित हो पाया हैं।

मूल शब्दः पर्यावरण, प्रदूषण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण

प्रस्तावना
भारतीय महाद्वीप की बात करें तो यह विविधताओं से भरा देश है। जिस प्रकार समाज में बदलाव होता रहता है ठीक उसी तरह पारिस्थितिकी में भी परिवर्तन होता है। किन्तु पिछली दो शताब्दियों से मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से जो बदलाव उत्पन्न हुए हैं उसका भारतीय आम जन–जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत में पर्यावरण चिंता की शुरुआत सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा कचरा निपटाना जैसी समस्याओं के साथ शुरू हुई। भारत में स्टॉकहोम से पहले और उसके बाद कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई गई। इसी कारण 42वें संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के विषय को संविधान में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कई कदम उठाए गए जिनमें से एनजीटी एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। एनजीटी के द्वारा दो कार्यों को साधने का प्रयास किया गया। एक पर्यावरणीय समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाया जाए, दूसरा न्यायपालिका के बढ़ते हुए बोझ को कम किया जाए। प्रस्तुत लेख भारत में पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में एनजीटी की भूमिका का विश्लेषण करता है।

भारत में पर्यावरण न्यायाधिकरण की आवश्यकता
भारत में पर्यावरण न्यायाधिकरण की आवश्यकता को निम्नलिखित कारकों के अनुसरण में महसूस किया गया थाः

1. भारत में विभिन्न अदालतों में लंबित पर्यावरणीय मामलों की बढ़ती संख्या।
2. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम (1997) के तहत बनाया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकारी (National Environment Appellate Authority) का अप्रभावी तथा कार्य करने में अक्षम होना।
3. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम (1995) के तहत उल्लिखित न्यायाधिकरण की स्थापना का न होना।
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रोफेसर एम.वी.नायडू (1992) 2 SCC 718, मामले में निर्णय दिया गया कि पर्यावरणीय समस्याओं के निपटान के लिए एक विशेष रूप से पर्यावरणीय अधिकरण की स्थापना की जाए जो त्वरित रूप से पर्यावरणीय मामलों को निपटा सके।
5. विधि–आयोग की अपनी 186वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करना जिससे जल्दी से जल्दी और आसानी से न्याय मिल सके। साथ में छोटे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक पर्यावरण न्यायालय का गठन किया जा सकता है।[1]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना से पहले के प्रयास
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना से पहले भी दो प्रयास हो चुके पर्यावरण न्यायालय की स्थापना के लिए जो निम्नलिखित हैः

1. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, (1995)
2. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, (1997)

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995
इस अधिनियम का उद्देश्य था कि यह कानून खतरनाक तत्व की हैण्डलिंग के कारण होने वाली दुर्घटना के लिए संबंधित व्यक्तियों को उतरदायी ठहराता है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण गठन करने का प्रावधान है। जिससे दुर्घटना के मुकद्दमों का जल्दी निपटारा हो सके। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से उत्पन्न जान–माल की क्षति के लिए मुआवजा देना है। यह अधिनियम 1995 में बनाया गया था। जून, 1992 को रियो कॉन्फ्रेंस में हर भाग लेने वाले राष्ट्र को एक राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए कहा गया, जो पर्यावरण हादसों में पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करें और आरोपी व्यक्तियों को नुकसान के लिए उतरदायी ठहराए। भारत भी इस कॉन्फ्रेंस का सदस्य था, इसलिए यह कानून बनाया गया। परन्तु इस राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करना तो दूर की बात, इस अधिनियम को ही अधिसूचित (Notified) नहीं किया गया। अधिनियम बनाने के बाद 8 वर्षों तक न ही अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष और न ही न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की इस ट्रिब्यूनल में नियुक्ति किया गया। संसद द्वारा परिकल्पित पर्यारण ट्रिब्यूनल दुर्भाग्य से कभी अस्तित्व में नहीं आया।
इस न्यायाधिकरण की शक्तियों से संबंधित पहलू की बात करे तो यह सिर्फ मुआवजा दे सकता था। इसे वह सभी शक्तियाँ दी

जानी चाहिए थी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। इसके साथ सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य के लिए पर्यावरण के मामलों में विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं होता था। उदाहरण के तौर पर देखें तो अनुभाग–10 (2) (बी) के तहत यदि सरकार के सचिव को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए पर्यावरण के मामलों में कोई अनुभव होना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम (1997)

यह अधिनियम 30 जनवरी, 1997 को लागू किया गया। भारत में बढ़ती हुई आपदाओं के कारण पर्यावरण को क्षति हो रही थी जिसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार ने संबंधित मामलों के लिए पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने के संबंध में, अपील सुनने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए या उससे जुड़े मामलों के लिए एक पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए यह अधिनियम बनाया। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिनियम (1997) दोनों में कुछ अंतर जरूर है। लेकिन यहां भी राष्ट्रीय पर्यावरण, अपीलीय अधिनियम (1997) के तहत भारत सरकार के सचिव को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर, पर्यावरण मामलों में अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यहां कार्यालय का कार्यकाल 3 वर्ष है। इससे समझा जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जारी अधिसूचना के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण दायरे के कारण अधिक काम नहीं था। इसने बहुत कम मामलों का निपटारा किया साथ ही पहले अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई नियुक्ति ही नहीं की गई। इस प्रकार से ये दो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण दुर्भाग्य से गैर–कार्यात्मक रहे। एक के पास केवल मुआवजा देने का अधिकार क्षेत्र था लेकिन वास्तव में वो भी अभी अस्तित्व में नहीं आया। दूसरा अस्तित्व में आया जरूर लेकिन पहले अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद, कोई दूसरा अभी नियुक्त नहीं किया गया।[2]

राष्ट्रीय हरित अधिनियम, 2010

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के लिए यह अधिनियम बनाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर, 2010 में किया गया। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल को विशेष तौर पर ऐसे अधिकार दिए गए जिनके इस्तेमाल से पर्यावरण से जुड़े विवाद सुलझाएं जा सकें। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण से जुड़े विवादों को जल्दी सुलझाना और बड़े न्यायालयों पर से इस तरह के विवादों का भार कम करना खास उद्देश्य था। इस ट्रिब्यूनल में किसी भी विवाद को 6 महीनें के अंदर सुलझाने की कोशिश की जाती है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पांच स्थानों पर स्थापित किया गया। नई दिल्ली ट्रिब्यूनल के बैठने का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पूणे, कोलकत्ता और चेन्नई ट्रिब्यूनल के चार अन्य स्थान है।

तालिका 1

क्र.	क्षेत्र (Zone)	बैठने का स्थान (Place of Sitting)	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)
1.	उत्तरी (Northern)	दिल्ली (प्रधान पीठ)	उत्तर–प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केन्द्रशासित प्रदेश चण्डीगढ़
2.	पश्चिमी (Western)	पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केन्द्र शासित प्रदेश–दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली
3.	केन्द्रिय (Central)	भोपाल	मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़
4.	दक्षिणी (Southern)	चेन्नई	केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केन्द्रशासित प्रदेश– पांडिचेरी और लक्षद्वीप
5.	पूर्वी (Eastern)	कोलकत्ता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पूर्वोत्तर के सात राज्य जिसमें शामिल हैः– 1. अरुणाचल प्रदेश, 2. असम, 3. मणिपुर, 4. मेघालय, 5. मिजोरम, 6. नागालैंड, 7. त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उठाए गए कदम

एनजीटी की स्थापना के बाद, भारत में पर्यावरणीय कानूनों को लागू करवाने के लिए एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। साथ ही एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों को पालन न करने के लिए सख्त दंड देकर एक नया विचार दिया है उदाहरणतः

- अप्रैल 2014 में एनजीटी ने अपने उल्लेखनीय आदेश में कहा कि यमुना नदी पर प्रस्तावित मनोरंजन सुविधाओं के कारण नदी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। एनजीटी ने सरकार से सिफारिश की कि वह दिल्ली और उत्तर–प्रदेश में यमुना के 52 कि.मी. के हिस्से को संरक्षण क्षेत्र घोषित करें।
- वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ मामले में एनजीटी ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि सभी डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने है, उनको दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। इसमें बताया गया कि एक डीजल वाहन, 24 पेट्रोल वाहनों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण का कारण बनता है।
- बायोडिग्रेडेबल गणेश आइडल का उपयोग करने पर एनजीटी (दिल्ली ब्रांच) ने सितंबर 2015 में निर्देश दिया कि मूर्ति विसर्जन केवल उन्हीं को करने की अनुमति होगी जो आइडल बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने होंगे, न कि प्लास्टिक/प्लास्टर ऑफ पेरिस से। साथ ही केवल उन्हीं रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए मूर्तियाँ बनाने में जो पर्यावरण के अनुकूल है।

1. यह पर्यावरण के मामलों पर उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है।
2. एनजीटी कम औपचारिक है, कम खर्चीला है और पर्यावरण संबंधी विवादों को सुलझाने का एक तेज तरीका है।
3. अध्यक्ष तथा सदस्य को पुर्ननियुक्त नहीं किया जा सकता इसलिए वे बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय देने की संभावना रखते हैं।
4. सितम्बर, 2019 से एमजीटी ने ई–फाइलिंग की मौजूदा प्रक्रिया के अलावा न्याय प्रणाली तक ऑनलाइन पहुँच के साथ शुरुआत की है जिसके तहत देशभर में पीड़ित व्यक्ति एनजीटी से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रिंसिपल बेंच या किसी भी क्षेत्रीय बेंचों में बिना शारीरिक उपलब्धता के केस फाइल कर सकता है।

5. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने डीटीसी को आदेश दिया कि वो अलग–अलग रूटों पर ऐसी बसें शुरू करें जो सीधे यात्री की मंजिल पर जाकर ही रूकें। इस आदेश के तहत डीटीसी ने डेस्टिनेशन सर्विस बस सेवा शुरू की, जिसका मकसद पीक आवर्स के दौरान दिल्ली की सड़कों से निजी गाड़ियाँ कम हो ताकि लोग इन बसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियों में चलने से बचें।
6. एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संबंधी मामलों का जल्द से जल्द निपटान करने के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के बाद यह अपने इस मकसद को पूर्ण कर पाया है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 4 जुलाई 2011 से 31 मई 2018 के बीच एनजीटी के कुल 26,405 मामले दर्ज हुए। इन मामलों में से 22, 832 मामले निपटाए गए और 3573 मामलें अभी भी लंबित है। इसका मतलब है कि केवल 13.85 प्रतिशत मामलें न्यायाधिकरण के पास लंबित है।[3]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कमियां

1. भारत जैसे बड़े देश में एनजीटी की केवल पांच शाखाएँ ही बनाई गई है। जिसमें 30 या 40 सदस्य होंगे। क्या 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में केवल पांच शाखाएँ पर्याप्त होगी? एनजीटी की मुख्य शाखा दिल्ली में है, व अन्य पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित की गई है। गाँव के दूर–दराज के लोग व गुजरात, असम, केरल जैसे राज्यों के लोगों को भी एनजीटी से संपर्क स्थापित करने में समस्या होगी।
2. एनजीटी के अध्यक्ष पद पर किसी का ना होना निर्णयों को लंबित करता है। जबकि एक तरफ इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी भी मामलों को आवेदन करने के बाद 6 माह के भीतर निर्णय किया जायेगा। जबकि राज्य सभा डिबेट में ''श्री एन. हलजी ठाकोर'' द्वारा अध्यक्ष पद लम्बे समय के लिए रिक्त होने पर प्रश्न किये गये हैं।[4]
3. एनजीटी में न्यायिक और एक्सपर्ट मेम्बर एक–एक कर रिटायर हो चुके है, और खाली हुए पद लंबे समय से रिक्त ही पड़े है। सदस्यों की कमी के चलते तब बेहद अटपटी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एनजीटी (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) संशोधित नियम 2017 में हुए फेरबदल के तहत यह व्यवस्था की गई कि संशोधित नियमों के तहत एक सदस्यीय बेंच भी मामले की सुनवाई कर सकती है। तो क्या यह उचित हैं? एक व्यक्ति द्वारा मामले की सुनवाई पक्षपात की समस्या खड़ी कर सकती है।[5]
4. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति अपनी याचिका को उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, अगर वह ट्रिब्यूनल के निर्णय से असंतुष्ट है। तो ट्रिब्यूनल की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार तो दोषियों को अपना बचाव करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने का समय मिलता रहेंगा। जिससे पीड़ित व्यक्ति को समय पर ना तो न्याय प्राप्त होगा और न ही मुआवजा। इससे यह दोषियों के हित में एक हथियार बन जायेगा।[6]
5. एनजीटी में सिर्फ उन मामलों को शामिल किया जाता है जिनका प्रभाव बड़े स्तर पर पर्यावरण पर होता है, उन्हीं मामलों पर सुनवाई होती है। लेकिन जो छोटे स्तर पर औद्योगिक इकाई प्रदूषण फैला रही है उसको महत्व नहीं दिया जाता।[7]
6. केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय का न होनाः ट्रिब्यूनल द्वारा विभिन्न सक्रिय–समर्थन मिलने के बावजूद प्रदूषण का स्तर वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण तथा प्रभावी रूप से समर्थन न करना भी इसकी स्थापना को निष्क्रिय कर देता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अक्षमता और अप्रभावी समन्वय भी इसकी असफलताओं को दर्शाता है।

निष्कर्ष

इस लेख में भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में पर्यावरण न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। भारत विभिन्न पर्यावरण संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा घोषणाओं में हस्ताक्षरकर्ता रहा है जिसके कारण एक प्रतिबद्ध सदस्य होने के कारण पर्यावरण न्यायालय की स्थापना करना उसने जरूरी समझा। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना करने के कई कारण रहे हैं जैसे भारत में अलग–अलग अदालतों में लंबित पर्यावरणीय मामलों की बढ़ती संख्या, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकार अधिनियम (1997) के तहत बनाया गया राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकारी (National Environment Appellate Authority) का अप्रभावी तथा कार्य करने में अक्षम होना, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम (1995) के तहत उल्लिखित न्यायाधिकरण की स्थापना का न होना। इसके अलावा कई सारे मामलों के तहत दिए गए निर्णयों में दी गई सिफारिशों के कारण, विधि–आयोग की 186 वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें आदि। भारत के कानून के इतिहास में पर्यावरण संबंधी कानूनों की भी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से (अनुच्छेद–21) जीवन जीने का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसके तहत साफ व स्वच्छ वातावरण को भी इस अनुच्छेद में शामिल किया गया। इसके साथ राज्य की नीति–निर्देशक सिद्धांतों में भी पर्यावरण संबंधी बातों को शामिल किया गया। जिसके फलस्वरूप मनुष्य के साथ–साथ राज्य का भी उतरदायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करें।

अंत में हम कह सकते है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जो कमियां है यदि उनको दूर कर दिया जाता है तो यह पर्यावरण संरक्षण में और अधिक त्वरित रूप से एवं प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ

1. Purohit RD. Commentary on National green tribunal Act, 2010, New Delhi: Universal law publishing co.pvt. ltd, 2015, 13
2. Opcit: P-100-104
3. Nakul Singh Chauhan and Swati Rai, A Review on the Challenges and Role of National Green Tribunal in Expediting Environmental Justice in India, Prestige International Journal of Management and Research, 2019, 2(9).
4. संसदीय बहस, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अध्यक्ष in हेतु नियुक्ति, 2014, https://rajyasabha.nic.in/. accessed on 4 september 2012,11.30 am.
5. Ikshaku bezbaroa, Centre's new tribunal rules likely to change NGT composition, https://www-downtoearth-org-in.cdn.ampproject.org/v/s/www.downtoearth.org.in/news/governance/amp/centre-s-new-tribunal-rules-likely-to-change-ngt-composition 58274?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16133843986462&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.downtoearth.org.in%2Fnews%2Fgovernance%2Fcentre

-s-new-tribunal-rules-likely-to-change-ngt-composition-58274. Accessed on 19 august 2018, 10:30 p.m.
6. GOI, Constitution of India, GOI, Delhi, p.18.
7. http://www.omabc.com/national/indian-laws/environment-snt/ngt/critical-analysis-national-green-tribunal-bill/.